



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

रेस्टोरेशन संख्या.....26 / 2013.....जिला.....भरतपुर.....

उनवान – श्रीजी ग्रामोद्योग समिति, कामां, भरतपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, भरतपुर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|----------------|--|--|
| 24.10.2016 | <p align="center">खण्डपीठ कैम्प जयपुर श्री खेमराज, अध्यक्ष श्री सुनील शर्मा, सदस्य</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी व अपीलार्थी वकील अनुपस्थित एवं प्रत्यार्थी विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री एन.के.बैद उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी प्रतिनिधि श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा, सैकेट्री एवं श्री जतिन हरजाई, सीए को तीन बार आवाजें उपस्थिति हेतु लगवाई गई। व्यवहारी अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण से संबंधित कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्राप्त नहीं हुआ है। प्रकरण रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र है और काफी लम्बे समय से चल रहा है और वर्ष 2013 से लम्बित है। प्रार्थी व प्रार्थी वकील पूर्व में भी कई तारीख पेशियों पर अनुपस्थित रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे प्रकरण को और आगे नहीं चलाना चाहते हैं।</p> <p>अतः प्रकरण रेस्टोरेशन/26/2013/भरतपुर हस्तगत अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर </div> <div style="text-align: center;">  अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड अजमेर </div> </div> | |